



श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग  
जिला नियोजनालय, देवघर।

## सूचना

राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय निबंधित हो, को रोजगार से जुड़ने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराना है।

योजना के नाम	योग्यता	पात्रता	प्रोत्साहन राशि
"मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना"	राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो National skill Qualification Framework (NSQF) से Aligned हो, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलता पूर्वक प्रमाणित होना चाहिए।	आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात् आवेदक न तो सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र से जुड़े हो और न ही स्वरोजगार से जुड़े हो।)	आवेदकों के लिए ₹0 5,000.00/- प्रति वर्ष, एक वर्ष के लिए (विधवा/ प्रस्थित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगी।)
		आवेदक झारखण्ड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए।	आवेदन की प्रक्रिया आवेदक ने जिस विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसी विभाग में ही शपथ पत्र के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन करेंगे।
		योजना हेतु चिन्हित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अहर्ताओं के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।	
		इस योजना का लाभ हेतु किसी प्रकार का दोहरीकरण न हो।	
		झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (Domicile) हो।	
		स्वयं का बैंक खाता/आधार कार्ड हो।	
वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो, जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।	नोट:- आवेदन प्रपत्र जिला नियोजनालय, देवघर के सूचना पट्ट, <a href="http://www.rojgar.jharkhand.gov.in">www.rojgar.jharkhand.gov.in</a> एवं <a href="http://www.deoghar.nic.in">www.deoghar.nic.in</a> पर प्रदर्शित है।		
नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।)			

विशेष जानकारी के लिए जिला नियोजनालय, देवघर में सम्पर्क किया जा सकता है।  
पता- पुरनदाहा बाईपास, रोड, तालाब के निकट, जिला- देवघर, पिन नं०- 814112

  
जिला नियोजनालय  
देवघर

Annexure-I273 (नि०) (4)  
19/03/2021**‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना’ के तहत सहायता राशि प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र  
(विहित प्रपत्र)**

आवेदक/आवेदिका का नाम :-

पिता/पति का नाम :-

माता का नाम :-

जन्म तिथि :-

(नोट- नियोजनालय में निबंधन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष) (अनुरूचित जाति एवं जनजाति को उम्र सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।)

लिंग (पुरुष/महिला) :-

कांति :-

विशेष कोटि (विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग) :- हाँ/नहीं (यदि हाँ साक्ष्य संलग्न करें)

नियोजनालय का नाम/निबंधन संख्या एवं निबंधन की तिथि :-

स्थायी पता (पिन कोड सहित) :-

वर्तमान पता (पिन कोड सहित) :-

निवास/अधिवास (domicile) (यदि हाँ तो सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न) :- हाँ/नहीं

मोबाईल सं० :-

ई-मेल :-

आधार सं० :-

आधार लिंक बैंक खाता सं० :-

बैंक का नाम :-

IFSC कोड :-

शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न) :-

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि०वि० का नाम	उत्तीर्ण वर्ष एवं माह	प्राप्तांक	प्रतिशत	विषय

तकनीकी योग्यता :- राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आई0टी0आई0, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned हो, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए (प्रमाण पत्र संलग्न) :-

शपथ-पत्र

1. झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (domicile) हूँ।
2. किसी रोजगार/स्वरोजगार से नहीं जुड़ा हूँ।
3. किसी न्यायालय से किसी अपराध में सजा प्राप्त नहीं किया हूँ।

मैं, ....., प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी शत प्रतिशत सही है। यदि गलत पाया गया तो मेरे उपर न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी।



आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर